न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/05/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/13

अपीलार्थी
श्री दीपेन्द्र आर्य,
ग्राम व पोस्ट–भुनगडा अहीर, तहसील–मुण्डावर
(अलवर) राज.

बनाम

प्रत्यर्थी
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रवेश तिथि :: 12.1.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 08.02.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने अपने सूचना आवेदन दिनांकः 06.12.2021 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिनांकः 30.11.21 को प्रेषित ई–मेल पर की गई कार्यवाही, PLPC गठन संबंधी सूचना, सूचना का अधिकार विषय पर प्रशिक्षण आदि संबंधी कुल 7 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी।
4. सूचना नहीं मिलने के आक्षेप पर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय स्तर पर प्रथम अपील संस्थित कराई गई है।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया।
6. प्रत्यर्थी की ओर से पत्र सं. 151 दिनांकः 24.01.22 के माध्यम से अपील का जवाब प्रस्तुत कर जवाब की प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है।
7. प्राप्त जवाब मय संलग्नक दस्तावेजात् का परीक्षण किया गया। अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांकः 06.12.2021 में वांछित सूचना एक से अधिक विभागों से संबंधित होने के कारण DOPT नई दिल्ली के ज्ञापन सं. 10/2/2008-IR-24-09-10 एवं माननीय राज. सूचना आयोग, जयपुर के अपील प्र.सं. 233/2016 निर्णय दिनांकः 20.07.2016 के आलोक में पत्र सं. 2187 दिनांकः 10.12.21 के माध्यम से नियमानुसार विधिक विनिश्चय कर आवेदन अस्वीकार कर अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है।
8. उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। अपील निर्बल है।
9. अतः **अपील अस्वीकार की जाकर खारिज** की जाती है तथापि अपीलार्थी के आक्षेप पर प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वो विनिश्चय–पत्र सं. 2187 दिनांकः 10.12.21 की प्रति पंजीकृत–पत्र के माध्यम से अपीलार्थी को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. आज दिनांकः 08.02.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर